

क्रम सं०	
Serial No.	

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

मासिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र
Application for monthly Pension
प्रपत्र—10—डी (क॰ पें॰ यो॰)
Form 10-D (E.P.S.)

टिप्पण : अन्य क्षेत्र में पेंशन की निकासी के मामले में इसे 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। Note : To be submitted in two copies in case pension is to be drawn in other Region.

आवेदन हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी EXPLANATORY NOTE FOR THE APPLICATION

नीचे दी क्रम सं० आवेदन में दिए क्रम से संबंधित है Serial No. given below relates to the corresponding No. given in the application.

 पंशन का दावा किस के द्वारा होना है ?
 By whom the pension is claimed ?
 क्रम सं०-1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक को दर्शायें Indicate any one of the following under SI. No. 1.

सदस्य Member	विधवा / विधुर Widow/Widower	व्यक्त अनाध Major Orphan	अभिभावक Guardian	नामिति Nominee
		-		
				65.5
		1		5.9

- पंशन दावे का प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक को दर्शायें ।
 Type of Pension Claim Indicate any one of the following
 - (क) सेवा में अथवा सेवा से बाहर58 वर्ष की आयुप्राप्त करने पर
 - (a) On attaining 58 years whether in service or not
 - (ख) 50 वर्ष से अधिक परन्तु 58 वर्ष से कम की उम्र प्राप्त होने पर तथा सेवा से बाहर होने पर ।
 - (b) Attained the age of 50 years but below 58 years and left service.
 - (ग) अंपगता पेंशन
 - (c) Disablement Pension
 - (घ) विधवा एवं बच्चे
 - (d) Widow & Children
 - (ड) अनाथ पेंशन
 - (e) Orphan Pension
 - (घ) नामिति पेंशन
 - (c) Nominee Pension

वार्धक्य पेंशन SUPERANNUATION

न्यून की पेंशन REDUCED PENSION

- (क) से (इ) 4 एवं 5
 (a) to (e). 4 & 5
 कृपया सदस्य से संबंधित विवरणों को ठीक तरह से भरें ।
 Please furnish the particulars relating to the member correctly.
- 6. सेवा त्यागने की वास्तविक तिथि दर्शायें । Indicate the actual date of leaving Service यह उस सदस्य के लिए भरना आवश्यक नहीं है जो 58 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुका है तथा सेवारत रहता है । दर्शायें कि 'क्या अभी सेवा में है' ।

This need not be filled by a member who has attained 58 years and continued to be in service. Indicate, 'still in service'

7. यदि सेवा त्यागने का कारण पूर्ण एवं स्थायी अशक्तता पर आधारित है जैसा कि स्थापना द्वारा भ० नि० कार्यालय को प्रपत्र 10 के माध्यम से दर्शाया गया है तो अशक्तता पेंशन हेतु केवल सदस्य हकदार है । अन्य सभी मामलों में सेवा त्यागने का वास्तविक कारण दिया जाना चाहिए । तदापि कोई सदस्य, जो 58 वर्ष की आयु होने के बाद भी सेवा में रहता है, उसे दर्शाना चाहिए कि 'यह अभी सेवा में है' ।

If the reason for leaving service was on account of total and premanent disablement, as indicated by the establishment-to the P. F. Office through Form 10, then only the member is entitled for Disablement Pension. In all other cases the actual reason for leaving service may be given. However, a member who continues in services beyond the age of 58 years may indicate "still in services".

 यदि वर्तमान पता अस्थायी है तो स्थायी पते को भी दर्शायें । If the present address is temporary one, also indicate permanent address.

9. क्रम सं० 9 केवल पेंशन योजना के सदस्य पर लागू है न कि उसके परिवार पर । आवेदक अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 कम्यूट कराने का पात्र है तािक वह कम्यूट की पेंशन का 100 गुना प्राप्त कर सके । यदि कोई पेंशन भोगी, जो मूल पेंशन 600 रू० प्राप्त कर रहा है, इसका 1/3 कम्यूट कराता है तो वह कम्यूट मूल्य के रूप में रू० 20,000/- प्राप्त करेगा । कम्यूटेशन केवल दिनांक 16.11.98 से प्रभावी होगी । आवेदक अपने आवेदन में कम्यूटेशन हेतु अपना विकल्प दे सकता है और यह सदस्य को केवल तभी प्रभावी एवं संदेय होगी यदि पेंशनभोगी दिनांक 16.11.98 से अपनी पेंशन लेना जारी रखता है ।

SI. No. 9 is applicable only to a member of the Pension Scheme and not for his family. The applicant is eligible to commute upto a maximum of 1/3 of his pension so as to receive 100 times of the pension commuted. If a pensioner who is getting an original pension of Rs. 600/- commutes 1/3rd of it, he will get Rs. 20,000/- as commuted value. The commutation will be effective only from 16.11.1998. The applicant may give his option for commutation in the application and this will be effective and paid only if the member-pensioner contiunes to draw his pension as on 16.11.1998. पेशन के कम्पूट मूल्य का विकल्प देने पर, पूँजी की वापसी हेतु वर्णित मूल पेशन, कम्पूटेशन के बाद रही शेष पेशन होगी।

On opting for commuted value of pension, the original pension mentioned for Return of Capital will be the balance of pension after commutation.

10. सदस्य पूँजी की वापसी हेतु अपना विकल्प दे सकता है । एक बार दिया विकल्प अन्तिम होगा । वह निम्न में से किसी एक का विकल्प दे सकता है तथा आवेदन के क्रम संo-10 के समक्ष विकल्प के अंतर्गत दर्शायें क्रमांक को वर्णित करेगा ।
The member can give his option for return of Capital. Option once exercised is final. He may choose any one of the following and indicate the no. shown under alternative against SI No.10 of the application.

विकल्प Alternative	पेंशन की मात्रा Quantum of Pension	पूँजी की वापसी Return of Capital
1.	मूल पेंशन का 90%	सदस्य की मृत्यु होने पर नाभिति को मूल भासिक पेंशन का 100 गुणा ।
	90% of original pension	On member's death 100 times the priginal monthly pension to nominee.
2.	सदस्य को मूल पेंशन का 90% उसकी मृत्यु पर पेंशन का 80% उसकी विधवा/विधुर को ।	विधवा/विधुर की मृत्यु अथवा पुर्नविवाह होने पर इनमें से जो पहले हो । नामिति को मूल पेशन का 90 गुणा ।
	90% of original pension to member. On his death 80% of pension to Widow/Widower	Ondeath or remarriage of Widow/Widower whichever is earlier. 90 times of original pension to hominee
3.	सदस्य को 20 वर्ष की एक निर्धारित अवधि हेतु मूल पेंशन का 87.5% । 20 वर्ष से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति शेष अवधि हेतु पेंशन प्राप्त करेगा ।	20 वर्ष की समाप्ति पर सदस्य को मूल पैशन का 100 गुणा यदि वह जीवित है अन्यथा उसके नमिति को ।
	87.5% of original pension for a fixed period of 20 years to member. On his death before 20 years, nominee will get pension for balance period.	At the end of 20 years, 100 times of original pension to member, if he is alive, otherwise to reminee.

11. सदस्य से अपेक्षित है कि वह पूँजी की वापसी को प्राप्त करने हेतु अपने नामितियों का ब्यारा दे । एक सदस्य अपने जीवन साधी या पुत्रों या पुत्रियों को नामित कर सकता है । एक विवाहित सदस्य जिसके पीछे उसके परिवार का कोई सदस्य (जीवन साधी/पुत्र/पुत्रियां) जीवित नहीं हैं और एक कुँआरा/कुँआरी ऊपर क्रम सं० 10 के आधार पर विकल्प के अंतर्गत पूँजी/पेंशन की वापसी (यदि कोई देय हैं) को प्राप्त करने हेतु अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है

The member is required to furnish the details of his/her nominee for receiving the Return of Capital. A member can nominate his/her spouse or sons or daughters. A married member who is not survived by any member of his family (spouse/sons/daughters) and a bachelor/spinster may nominate a person of his/her choice to receive the Return of Capital/Pension due if any, under Alternative 3 as per Serial Number 10 above.

12. इसे सदस्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । उसकी अनुपस्थित में जीवन साथी/बच्चों द्वारा । सदस्य के जीवित पारिवारिक सदस्यों की सूची, जिसके अंतंगत उसका जीवन साथी, सभी बच्चे आते हों, उसे प्रस्तुत करनी चाहिए । आवेदन करने की तिथि को प्रत्येक अवयस्क बच्चे हेतु अभिभावक का विवरण दिया जाना चाहिए । बच्चों की आयु के प्रमाण स्वरुप विद्यालय या जन्म मृत्यु रिजस्ट्रार या क०रा०बी० प्रलेखों या नगरीय प्राधिकारियों से प्राप्त आयुप्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए । नैसर्गिक अभिभावक से अन्य अभिभावक होने की दशा में एक अभिभावक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

This should be completed by the member. In his absence, by the spouse/children. The list of surviving family members of the Member, covering his spouse, all children should be furnished. The particulars of Guardian should be given in respect of each minor child, as on the date of application. In support of the age of children, age proof certificate obtained from the School or Register of Birth-death or E. S. I. Record, or Municipal authorities should be enclosed. In the case of Guardian other than natural guardian, a Guardianship Certificate should be enclosed.

- सदस्य के जीवित न रहने की दशा में लागू है । मृत्यु तिथि के प्रमाण हेतु मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
 Applicable only in case the member is not alive. In support to the date of death, Death Certificate should be enclosed.
- 14. बैंक, बचत बैंक खाता सं० का विवरण दिया जाना चाहिए । यदि दावा जीवन साथी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उसे अपना बचत बैंक खाता सं० देना चाहिए तथा इसके साथ ही उसे अपनी पृथक बचत बैंक खातों का न० भी देना चाहिए । प्रत्येक बच्चे के सबंध में उसकी बचत बैंक खाता सं० दी जानी चाहिए । यदि बच्चा 25 वर्ष की आयु से कम है (इसकी गणना सदस्य की मृत्यु की तिथि से होगी) अवयस्क बच्चे की और से उसके नाम पर खोला गया बचत बैंक खाता जो कि अवयस्क द्वारा प्रचलित है तथा खाता सं० दी जानी चाहिए ।

The details of Bank Saving Bank Account Number should be given.

In case the claim is preferred by spouse, he/she should give his/her Saving Bank Account Number and also separate Saving Bank Account Numbers. In respect of each child Saving Bank Account Numbers of children who are below the age of 25 years (as on date of death of the member) should be given. On behalf of minor child, Saving Bank Account opened in the name of minor and operated by the guardian of the minor and Account Number should be given.

पेंशन किसी भी शाखा (पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से प्रत्येक माह, पात्र पेंशन भोगी के बचत बैंक खाते में निश्चित तिथि को जमा करके संदेय है । अतः बचत बैंक खाता उक्त बैंक में ही खोला जाना चाहिए । आवश्यक संदेर्शन सभी बैंक की शाखाओं को दिये गये हैं तािक वे पेंशन भोगियों के लिए बचत बैंक खाते अपने बैंक में खोंलें । आवेदक खाता खोलने के लिए उक्त बैंकों की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं ।

Pension is payable through any branch of the *(P.N.B. or State Bank of India) on the specified day of each month by credit to Saving Bank Account of eligible pensioners. Hence, Saving Bank Account should be opened only in the said Bank. Necessary guidelines have been given to all branches of the Bank to open a Saving Bank Account for the pensioners. The applicant may approach any branch of the said bank to open the account.

सदस्य, जीवन साथी एंव बच्चों (अवयस्क या वयस्क) को आवश्यक रूप से चाहिए कि वे बैंक की उसी बास्य में अपने बचत बैंक खाते खोलें ।

The member, spouse and children (minor or major) should necessarily open Saving Bank Accounts in the same branch of the Bank.

यदि पेंशन का विकल्प उस स्थान पर दिया है जो कि उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से बाहर है जहाँ सदस्य अन्त में नियोजित था तो उसे चाहिए कि वह उस क्षेत्र में लागू पदनामित बैंक का नाम सुनिश्चित करें तथा वहां अपना बच्चत कि खाता. खोलें ।

Whenever pension is opted from a place beyond the jurisdiction of the Region in which the member was last employed, he should ascertain the name of the designated bank applicable in that Region and open a Saving Bank Account therein.

पेंशन की मंजूरी पर पेंशन भोगी को सूचना भेजी जाएगी ताकि वह बैंक से संपर्क कर सके । On sanction of Pension, intimation will be sent to the pensioner to contact the bank.

- 14. (क) यदि किसी सदस्य की 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तथा पेंशन को प्राप्त करने के लिए कोई परिवार का पात्र सदस्य नहीं है तो भविष्य निधि कार्यालय में पहले ही भेजे गए प्रपत्र-2 (परिशोधित) में सदस्य द्वारा नियुक्त नामित व्यक्ति इस संतभ के समक्ष वियरणों को देकर आवेदन कर सकता है ।
 - (a) In case of death of the member before attaining 58 years without leaving any eligible family members to receive the pension, the nominee as appointed by the member through Form 2 (Revised)already sent to the P. F. Office may apply giving his particulars against this column.

'क्पया पदनामित बैकों का नामाल्लेख करें ।

*Please write the name of the designated Bank (s)

15. यदि कोई सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्यरत रहा था और योजना प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका है, इस स्तन्म के समक्ष पूरा विवरण दिया जाना चाहिए । यदि कोई योजना प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उसके लिए आवेदन किया है तो इस स्तम्भ में पूर्व नियोजन संबंधी ब्यौरा दर्शाया जाए ।

In case the member was working in different establishments and obtained Scheme Certificate, the details should be furnished against this column. In case, no Scheme Certificate was received or not applied for the same, the details of past employment may be indicated in this column.

 यदि आवेदक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पहले ही पेंशन अथवा दावा पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस स्तम्भ के समक्ष ब्यौरा दिया जाना चाहिए ।

If the applicant is already receiving pension under Employees' Pension Scheme, 1995 or claim Pension, the details should be furnished against the column.

17. स्तम्भ 17 के अंर्तगत वर्णित एंव सलंगन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

List of documents to be enclosed and specified under Column No. 17:

- (क) पेंशन भोगी का विवरणात्मक रोल एवं उसके दो प्रतियों में नमूना हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी ।
- (a) Descriptive role of pensioner and his/her specimen Signature/Thumb impression in duplicate.
- (ख) 3 पासपोर्ट आकार के फोटो (यदि दावा सदस्य द्वारा किया गया है तो जीवन साथी के साथ संयुक्त फोटो) यदि पेंशन का दावा सदस्य द्वारा किया गया है तो बच्चों के फोटो भेजने की आवश्यकता नहीं है । यदि दावा किया द्वारा किया गया है तो विधवा/विधुर एवं उसके दो बच्चे (25 वर्ष से कम आयु के) फोटो पृथक रूप से भेजे जाने चाहिए । फोटो, नियोक्ता अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होने चाहिए । जिन पर वह उनका नाम भी दर्शाएगा जिनसे फोटो संबंधित हैं तथा इसके साथ-साथ वह सदस्य की भविष्य निधि खाता सं० को फोटो के पीछे वर्णित करेगा तथा पृथक लिफाफे में रखेगा ।
- (b) 3 pass-port size photographs (if claimed by the member Joint photo with spouse). If the pension is claimed by member, there is no need to send photograph of the children. If claimed by widow, the photograph should be sent for widow/widower and his/her two children (below 25 years) separately. The photographs are to be attested by the employer or his authorised official, indicating the person to whom the photograph relates and also the P. F. Account Number of the member, written on the reverse and placed in a separate envelope.
- (ग) यदि कोई सदस्य, जो नियोजन के दौरान स्थायी एवं समग्र रूप से विकलांग है तो उसे चाहिए कि वह क़क्किनिक कार्यालय द्वारा दिए परामर्श के अनुसार चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा जाँच करायें । तदापि वह विकलांगता रोजगार के दौरान घटित होनी चाहिए ।
- (c) In the case of a member, who is permanently and totally disabled during the employement, he/she should undergo a Medical Examination before the Medical Board as advised by the E. P. F. Office. However, the disablement should occur while in employment.
- (घ) आवेदन उस संस्थान के माध्यम से अग्रसारित होना चाहिए जिसमें सदस्य अन्त में सेवा करता था या मृत्य को प्राप्त हुआ था । स्थापना को प्रमाणपत्र एंव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् अमिप्रमाणित मजदूरी विवरण प्रस्तुत करना होगा ।
- (d) The application should be forwarded through the establishment in which the member last served/died. The establishment should furnish the certificate and wage particulars duly attested by the authorised. Officer.
- (इ) यदि स्थापना बन्द है तो, आवेदन पत्र को मिजिस्ट्रेट/राजपित्रत अधिकारी/बैंक प्रबन्धक या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाया जाना चाहिए ।
- (e) Only if the establishment is closed, the application should be forwarded through the Magistrate/Sazetted Officer/Bank Manager/any other authorised officer as may be approved by the Commissioner.

TO BE SUBMITTED IN TRIPLICATE

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ
For Office Use only
आवक सं.
In ward No

मासिक पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र-10-डी (क० पें० यो०) APPLICATION FOR MONTHLY PENSION FORM 10-D (E.P.S.)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme, 1995)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें) (Read INSTRUCTIONS before filling in this Form)

	By whom the Pension is Claimed ?			का गई पशन व e of Pension Cla		_
1	(क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Member's Name (In Block Letters) (ख) लिंग/Sex (ग) वैवाहिक स्थिति/Marital Status (घ) जन्म तिथि/आयु Date of Birth/Age (इ) पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name कि भ० नि० खाता सं० E. P. F. Account Number		सेंo काo BO	ত क्षे ০ কা০ SRO		मान कोड़ नं० .
				T	Establis	hment Code No
			सदस्य का Member's A			
8	ध्यापना का नाम व पता जहाँ सदस्य अन्त में नियोजित था । Name & Address of the Establishment n which the member was last employed	:				
	ध्यापना में प्रवेश की तिथि Date of Joining the establishment					
	भेवा त्यागने का तिथि Date of leaving Service					
F	तेवा त्यागने का कारण Reason for leaving Service	:				40
	त्रव्यवहार हेतु पत्ता Address for communication	:_				. 11
		_			t	400
		1		-	पिन/Pin	10 Million
(4	 न्यून दर पेंशन (समयपूर्व पेंशन) के मामलें में रे करने हेतु विकल्प की तिथि 	ोंशन प्रांर	н		HIV FIN	লাশ হ
)	In case of reduced pension (early pension) for commencement of pension.	date of	option दिनांव	Date HIS/N	lonth	at/Yeston
		""				

	9. राशि के 1/3 भाग के कम्यूटेशन का विकल्प Option for commutation of 1/3 of Quantum		ਗੋਂ Yes		नहीं No
	पेंशन (यदि कम के लिए विकल्प है) कम्यूटेशन राशि को इंगित करती है Pension (If option is for lesser) commutation indicate the quantum				
10.	पूँजी की वापसी हेतु विकल्प (कृपया अनुदेशों की क्र. स10 का संदर्भ ग्रहण करें । ((/) टिक लगायें] यदि हाँ तो अपने विकल्प की पंसद को दर्शीयें ।		हाँ/Yes		नहीं/No
	Option for Return of Capital (Please refer Serial Number 10 of INSTRUCTIONS) [Put a tick (✓)] If yes, indicate your choice of alternative	1	1	2	3
11.	पूँजी की यापसी हेतु नामित व्यक्ति का नाम उल्लिखित करें । Mention your Nominee for Return of Capital	FI			
	नाम/Name				(g. 18
	संबंध/Relation				

क्र.स. Si No.	ਜਾਸ Name	जन्म तिथि/ आयु Date of Birth/ Age	सदस्य के साथ संबंध Relationship with Member	अवयस्क के समक्ष Indicate against	
				अभिभावक का नाम Guardian Name	सदस्य के साथ संबंध/Relationship with Member
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					1

टिप्पण : यदि कोई बच्चा शारीरिक रुप से अंपग है तो नाम के नीचे "अंपग" दर्शायें ।

Note : If any child is physically handicapped, please indicate "DISABLED" below the name. * ***

13. सदस्य की मृत्यु की तिथि (यदि लागू है)

जन्म तिथि/Date of Birth

12. परिवार का विवरण/Particulars of Family

पता/Address

Date of death of Member (if applicable)

- 14. खोले गए बचत बैंक खाते का विवरण Details of Saving Bank Account Opened
 - (1) बैंक का नाम/Name of the Bank
 - (2) शाखा का नाम/Name of the Branch
- By account payees cheque/electronic transfer directly for credit to my S.B. A/C under intimation to me.

(Note: Attach a blank cancelled cheque of this S. B. A/c. in case of non availability of cheque attached first page of pass book containing S. B. A/c. No. and branch address.)

asso ni

tor tot

पूरा डाक पत्ता/Full Postal Address पिन कोड़/Pin Code

क. सं. Sl. No.	दायेदार/द Name of th	बचत बँक खाता सं. Saving Bank Account No.		
			* * * *	
	EC - 2			
		13		
		9		

- 14 (क) यदि दावा किसी नामित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उल्लिखित करें उसका
 - (a) If the claim is preferred by nominee, indicate his/her
 - (1) 키커/Name
 - (2) मृत सदस्य के साथ संबंध Relationship with the deceased Member
- 15. योजना प्रमाणपत्र का विवरण यदि वह पहले ही सदस्य के पास हो (यदि कोई हो) Details of Scheme Certificate. Already in possession of the Member, if any

योजना प्रमाणपत्र प्राप्त कर संलग्न किया ।	
Scheme Certificate received & enclosed	1000 j
प्राप्त नहीं/Not Received	
लागू नहीं/Not Applicable	. e

1.1

यदि प्राप्त है, तो दर्शायें/If Received, indicate

क्र. सं. Sl. No.	योजना प्रमाणपत्र नियंत्रण संo Scheme Certificate Control No.						प्राधिकारी जिसने योजन प्रमाणपत्र जारी किया है Authority who issued the Scheme Certificate		
								.i.G	
								41 61	
1		*						- Heat (4	
								11 1940	
								1716 14 B	
1								- A 111	
								1-7	

TO BE SUBMITTED IN TRIPLICATE

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ
For Office Use only
आवक सं.
In ward No

मासिक पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र-10-डी (क० पें० यो०) APPLICATION FOR MONTHLY PENSION FORM 10-D (E.P.S.)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme, 1995)

(इस प्रपन्न को भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें) (Read INSTRUCTIONS before filling in this Form)

	By whom the Pension is Claimed ?			की गई पेशन व e of Pension Cla		·
	(क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		L			17.0
	(क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Member's Name (In Block Letters) (ख) लिंग/Sex	:				
	(ग) वैवाहिक स्थिति/Marital Status (घ) जन्म तिथि/आय्					
	Date of Birth/Age (इ) पिता/पति का नाम	:				it.
	Father's/Husband's Name	1:		9		
	क० भ० नि० खाता सं०		क्षे० का०	उ० क्षे० का०	संस्थान	कोड नं०
	E. P. F. Account Number	:	RO	SRO		ent Code No.
			सदस्य का			
	*		Member's A	ccount No.		18
	स्थापना का नाम व पता जहाँ सदस्य अन्त में नियोजित था ।					
37	Name & Address of the Establishment in which the member was last employed	:				
1000	स्थापना में प्रवेश की तिथि Date of Joining the establishment	1				1
	सेवा स्यागने का तिथि					
	Date of leaving Service	;				
1	तेया त्यागने का कारणं Reason for leaving Service	:				
	गत्रव्यवहार हेतु पत्ता					
	Address for communication	:_				
	- N		196			A it list.
		-				. श्रम हिं
		_			-	ाम्बद्धाः ए
	3.80	_			पिन/Pin	45 1
(3	ह) न्यून दर पॅशन (सनयपूर्व पॅशन) के मामलें में पं करने हेतु विकल्प की तिथि	शन प्रांर			7 v	SAME (S)
)		date of	option दिनांव	5/Date 中医/M	Month :	rd/Year-
		The St	0.642.000			100
	7.55%					17.50

(स्थापना के नियोक्ता/

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाना है) (TO BE FILLED IN BY THE EMPLOYER/ AUTHORISED OFFICER OF THE ESTABLISHMENT)

प्रमाणित किया जाता है कि : Certified that :

- सदस्य के विवरण सही हैं ।
 The particulars of the member are correct.
- 2. सेवा छोड़ने की तिथि के बाद के 12 महीनों की अवधि हेतु पेंशन अंशदान एंव मजदूरी के विवरण : The particulars of Wages and Pension Contribution for the period of 12 months preceding the date of leaving service are as under:

यदि मजदूरी सभी 12 महीनों में अर्जित नहीं की गई है तो 12 महीनों का खण्ड अन्तिम बार लिए वेतन से प्रारम्भ होगा ।

(In case, the wages is not earned for all 12 months, the block of 12 months will commence backwards from the last pay drawn)

वर्ष Year	माह Month	मजदूरी Wages		देय पेंशन अंशदान Pension Contribution due	गैर अंशदायी सेवावधि का विवरण । यदि ऐसी कोई सेवावधि नहीं है तो "शून्य" दर्शायें । Details of period of noncontributory service. If there is no such period, indicate 'Ni!'	
		दिनों की सं० No. of Days	राशि Amount		वर्ष Year	दिनों की संo जिनके हेतु कोई मजदूरी अर्जित नहीं की गई। No. of days for which no wages were earned.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					***	¥
						15-1
						1.3

अनुलग्नक :/Encls :

- अनुदेशों में दिए दस्तावेज ।
 Documents as given in the Instructions.
- विवरणात्मक रोल एवं नमूना हस्ताक्षर का प्रपत्र ।
 Form of descriptive roll and specimen signature.

स्थापना के नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के मोहर एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

Signature of Employer/Authorised Official of the Establishment with Seal & Date

(केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ) (FOR OFFICE USE ONLY)

(पेंशन अनुभाग/लेखा अनुभाग) (PENSION SECTION/ACCOUNTS SECTION)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दिए विवरणों को संबद्ध दस्तावेजों के साथ सत्यापित कर लिया गया है । दावेदार पेंशन हेतु पात्र है । आवक आँकड़ा पत्र (इन्पुट डाटा शीट) नीचे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

Certified that the particulars in the application have been verified with the relevant concerned documents, the claimant is eligible for Pension. The Input Data Sheet is placed below for approval.

प्रपत्र-9 /प्रपत्र-3(पें० यों०) मास्टर खाता पत्र/दावा आवक पूंजी में प्रविष्टि कर ली गई है ।

Entered in Form 9/Form 3(PS), Master Ledger Card/Claim Inward Register.

दावेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-2 (आर.) सलंग्न है । Form 2 (R) enclosed alongwith the documents furnished by the claimant.

लिपिक/Clerk

अन्०पर्यं०/S.S.

स०ले०अधि०/A.A.O.

स०भ०नि० आयु०/A.P.F.C.

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date

(पेंशन पूर्व लेखा प्रकोष्ठ के प्रयोगार्थ) (FOR USE IN PENSION PRE-AUDIT CELL)

. इन्पुट डाटा शीट को आवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों के साथ सत्यापित कर लिया गया है और सही पाया गया है । पें. अदायगी आदेश को कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर लिया जाए ।

The Input date sheet verified with reference to the application and the documents enclosed and found correct. P. P. O. may be generated through Computer.

लिपिक/Clerk

अनु०पर्य०/S.S.

स०ले०अधि०/A.A.O.

स०भ०नि० आयु० (पेंशन)/A.P.F.C. (Pension)

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date

(पेंशन वितरण अनुभाग के प्रयोगार्थ) (FOR USE IN PENSION DISBURSEMENT SECTION)

पॅ० अ० अ० सं० P. P. O. No.

बैंक को जारी करने की तिथि Date of issue of the Bank

दि० को दावेदार तथा लेखा अनुभाग को सूचना जारी कर दी गई है। Intimation sent to the Claimant and also to Accounts Branch on

लिपिक/Clerk

अनु०पर्यo/S.S.

स०ले०अधि०/A.A.O.

स०भ०नि० आयु०/A.P.A.C.

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date

दिनांक/Date